वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 14.05.2025

निर्माण शुरू करने से पहले बताएं लैंड यूज

वाराणसी। शहर में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले शासन को लैंड यूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। यह सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि निर्माण स्थानीय नियमों के अनुसार है या नहीं। अमूमन लोग लैंड यूज तय होने से पहले ही अपना निर्माण कराते हैं। इसका फायदा अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण वाले उठा लेते हैं। इस कारण शासन स्तर से सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि बिना लैंड यूज के निर्माण न किया जाए। प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण होने के बाद इसके गिराने का भी खतरा होता है। इसके तय होने से अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा। पिछले दिनों वीडीए ने बड़े निर्माणकर्ताओं को हिदायत देकर निर्माण कार्यस्थल पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 14.05.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन पांच के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि रामनगर वार्ड के कोदोपुर में राहुल यादव अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। अवैध निर्माण रोकने के साथ शमन मानचित्र दाखिल करने को कहा गया था लेकिन उन्होंने नजर अंदाज कर दिया। अवैध निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 14.05.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को रामनगर वार्ड में अवैध निर्माण पर सील की कार्रवाई की गयी। टीम ने रामनगर अंतर्गत राहुल यादव, मौजा-कोदोपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किया जा रहा था।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 14.05.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की परवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 वार्ड-रामनगर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-रामनगर के अंतर्गत राहुल यादव,मौजा-कोदोपुर, थाना- रामनगर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत नो0-वी0डी0ए0/जेड-5/ए0एन0आई0/2025/0005398 कार्यवाही करते हुये सील की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश अवर अभियंता अशोक कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही । उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 14.05.2025

वाविप्रा जोन-5 की प्रवर्तन टीम ने की अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 वार्ड-रामनगर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-रामनगर के अंतर्गत राहुल यादव,मौजा-कोदोपुर, थाना-रामनगर, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत नो0-वी0डी0ए0/जेड-5/ए0एन0आई0/2025/0005398 कार्यवाही करते हुये सील की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश अवर अभियंता अशोक कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

परफेक्ट मिशन–दि0 14.05.2025

वीडीए ने रामनगर में हो रहे अवैध निर्माण को किया सील

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जनपद में हो रहे अवैध निर्माण व प्लाटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान मंगलवार को जोन 05 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड रामनगर के अंतर्गत राहुल यादव मौजा कोदोपुर थाना रामनगर जिला वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पिलर खड़े करते हुए सरियों एवं शटरिंग का कार्य किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1), 28(2) के अंतर्गत नो0-वीडीए/जेड-5/एएनआई 0/2025/0005398 कार्रवाई करते हुए सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक कुमार व वीडीए प्रवर्तन टीम एवं क्षेत्रीय पुलिस बल के लोग उपस्थित रहे।